प्रार्थीः– सुमेरलाल पुत्र श्री छैलाराम, जाते ब्राह्मण, निवासी थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः– श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान
अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

संशोधित –::निर्णय::–

दिनांकः–14/9/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.4371 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1474 रकबा 3.2051 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, मौजा ग्राम थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त भूलवश सुमेरमल पुत्र छैलाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम सुमेरलाल पुत्र छैलाराम है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम सुमेरलाल पुत्र छैलाराम दर्ज है तथा ग्राम भाखरों की ढाणी के खसरा नम्बर 461 के राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी का नाम सुमेरलाल पुत्र छैलाराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.4371 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1474 रकबा 3.2051 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, मौजा ग्राम थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सुमेरमल पुत्र छैलाराम दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम सुमेरलाल पुत्र छैलाराम

Scanned with CamScanner

दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सुमेरमल के स्थान पर सुमेरलाल किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सुमेरलाल पुत्र छैलाराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व ग्राम भाखरों की ढाणी के खसरा नम्बर 461 की जमाबन्दी से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.4775 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1444 रकबा 0.4371 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1474 रकबा 3.2051 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, मौजा ग्राम थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सुमेरमल पुत्र छैलाराम के स्थान पर सुमेरलाल पुत्र छैलाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 14/9/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner